

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश,

(बजट अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 27 अक्टूबर, 2025

//आदेश//

मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के अन्तर्गत शासन के पत्र संख्या-226/11-4-2025/1807914 दिनांक 25-04-2025 द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में सूची में अंकित प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने हेतु प्रकरण जोन स्तर से मुख्यालय प्रेषित किये गये हैं। प्रकरणों का निस्तारण कराये जाने हेतु आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदन प्रदान किये जाने के पश्चात् सम्बन्धित दावेदारों को भुगतान किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी है।

प्रश्नगत व्यय वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-89 के लेखाशीर्षक-2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर-800-अन्य व्यय-07-उ0प्र0पंजीकृत व्यापारियों के लिये जोखिम व्यक्तिगत दुर्घटना योजना की मानक मद-42 अन्य व्यय के नामें डाला जायेगा।

क्र० सं०	जोन का नाम	मृतक व्यापारी का नाम	फर्म का नाम	मृत्यु का दिनांक	आनलाइन माध्यम से दावा दायर करने का दिनांक	दावेदार का नाम	देय धनराशि
1	अयोध्या	स्व० श्री	सर्वश्री राजपूत स्टील अलमारी वर्क्स, शाहजहाँपुर,	12-05-2025	08-08-2025	श्रीमती मीरा देवी, पत्नी	10.00 लाख
2	लखनऊ	स्व० श्री मुकेश कुमार रस्तोगी	सर्वश्री हरि कृष्णा महेश चन्द्र सराफ, लखनऊ	16-02-2025	29-05-2025	श्रीमती प्रिन्सी रस्तोगी पत्नी	10.00 लाख
3	मेरठ	स्व० श्री बिट्टू	सर्वश्री शिव कान्द्रेक्टर, मेरठ	03-06-2025	03-10-2025	श्रीमती सुनीला, पत्नी	10.00 लाख
4	प्रयागराज	स्व० श्री सैय्यद मो० आलम	सर्वश्री के०जी०एन० ट्रेडिंग इलेक्ट्रिकल्स एण्ड कन्सट्रक्शन, प्रयागराज	09-11-2024	19-02-2025	श्रीमती बसफिया, पत्नी	10.00 लाख
5	वाराणसी	स्व० श्री निर्भय नारायण सिंह	सर्वश्री सिंह खाद भण्डार, बलिया	12-06-2025	04-10-2025	श्रीमती पूनम सिंह, पत्नी	10.00 लाख

(अशोक कुमार सिंह)

अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त:-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर आयुक्त, ग्रेड-1, राज्य कर, प्रयागराज, मेरठ, लखनऊ जोन-1, बरेली, वाराणसी जोन-2 को सूचनार्थ।
2. संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर, प्रयागराज-ए, मेरठ-बी, लखनऊ-बी, बरेली-बी, आजमगढ़ को सूचनार्थ।
3. मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
4. संयुक्त आयुक्त (आईटी0) राज्य कर, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, मुख्यालय को सम्बन्धित प्रकरणों में प्राप्त बैंक डिलेट की प्रति के साथ भुगतान हेतु।
6. लेखाकार, राज्य कर, मुख्यालय।
7. बजट आवंटन पटल, राज्य कर, मुख्यालय को बजट आवंटन हेतु।

13018

श्रीमती...प्राणिशा...
कृपया आवश्यक कार्यवाही करें।

उपायुक्त (आईटी०) राज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ
दिनांक. 27-10-25

अपर आयुक्त (लेखा) राज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।